राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 19(1) सा.प्र./ग्रुप–4/92 जयपुर, दिनांक 3/6/11

आदेश

विषयः– सामान्य प्रशासन आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन/मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय आवासों मे परिवर्तन/परिवर्द्धन/ मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्यों में एकरूपता लाने की दृष्टि से नीति निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अतः राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन/मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य सम्पादित कराने हेतु निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. वर्तमान मे सामान्य प्रशासनिक आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित निम्नांकित 8 कार्यों के आधार पर ही स्वीकृतियाँ जारी की जाती है :–

क.सं.	कार्य का विवरण।
1.	फर्श का रिप्लेसमेंट।
2.	टायलेट नवीनीकरण।
3.	स्टोर/किचन में परिवर्तन/परिवर्द्धन।
4.	कप बोर्डस।
5.	दरवाजों, खिड़कियों एवं गेट्स का रिप्लेसमेंट।
6.	ग्राउण्ड वाटर टैंक का निर्माण।
7.	चार दिवारी ऊँची करना एवं नई बाउण्डरी वाल निर्माण।
8.	टिनशेड/कारशेड/शेड।

उक्त कार्य प्रथम व द्वितीय श्रेणी के आवासों हेतु 10 प्रतिशत सहभागिता राशि के आधार पर स्वीकृत किये जावेगे। तृतीय से छठीं श्रेणी के आवासों हेतु सहभागिता राशि नहीं ली जावेगी।

सा0नि0वि0 द्वारा आवासों में केवल रूटिन के मरम्मत कार्य ही किये जा रहे हैं जिससे यह कठिनाई हो रही है कि वे कार्य जो रूटिन मरम्मत में अथवा 8 चिन्हित कार्यों में सम्मिलित नहीं है, उनकी स्वीकृति जारी नहीं हो रही है। अतः सा0नि0वि0 द्वारा आवासों में मरम्मत एवं संधारण के कार्यों को दो भागों में विभाजित किये जावें।

(i) सामान्य/रूटिन मरम्मत एवं संधारण की प्रकृति के कार्य।
(ii) वृहद् मरम्मत (मेजर रिपेयर) की प्रकृति के कार्य।

सा0नि0वि0 द्वारा उक्त दोनों प्रकार के कार्यों का चिन्हिकरण कर इन्हें पृथक–पृथक श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया जावे। आवश्यकतानुसार सा0नि0वि0 के नियंत्रणाधीन बजट मदों हेतु वित्त विभाग से वृहद् मरम्मत के लिए अलग प्रावधान स्वीकृत कराया जावें। वृहद् मरम्मत के कार्य सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति उपरान्त सा0नि0वि0 द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी।

(iii) राजकीय आवास में आवश्यक होने पर निम्न कार्यों हेतु सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाकर विभाग द्वारा सभी आवासियों से 10 प्रतिशत सहभागिता राशि जमा करवाने हेतु पत्र जारी किया जावेगा तथा सहभागिता राशि जमा होने के पश्चात् स्वीकृति जारी की जावेगी। :–

क.सं.	कार्य का विवरण।
9.	अतिरिक्त कमरा।
10.	अतिरिक्त टायलेट/बाथरूम
11.	पोर्च।
12.	अतिरिक्त स्टोर।

2. सा0नि0वि0 द्वारा जिन आवासोंमें 50,000/– रू. से अधिक के मरम्मत/संधारण के कार्य करवाने प्रस्तावित है, उनकी सूची तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक होगा।

परन्तु अत्यावश्यक मरम्मत (Emergency Repair) एवं Break Down maintenance के कार्य, इन आदेशों के अधीन नहीं होगे।

3. इस विभाग द्वारा केवल जयपुर शहर स्थित सामान्य प्रशासनिक आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों के प्रस्तावों पर आवश्यक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जावेगी। राज्य में स्थित सामान्य प्रशासनिक आवासों हेतु (जयपुर शहर को छोडकर) सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर को बजट आवंटन किया जावेगा। जिला कलक्टर द्वारा नीति अनुसार प्रस्ताव पर परीक्षण कर आवश्यक स्वीकृति जारी की जावेगी। विधि पूल या अन्य आवासों के प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभाग द्वारा विचार किया जावेगा।

4. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु चिन्हित 8 कार्यों के आधार पर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाकर विभाग द्वारा आवासी से 10 प्रतिशत सहभागिता राशि जमा करवाने हेतु पत्र जारी किया जावेगा तथा सहभागिता राशि जमा होने के पश्चात् स्वीकृति जारी की जावेगी। तृतीय से छठवीं श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु चिन्हित 8 कार्यों के आधार पर स्वीकृति जारी की जावेगी, जिसके लिए सहभागिता राशि नहीं ली जावेगी।

(i) प्रथम से द्वितीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों हेतु आवासी से 10 प्रतिशत सहभागिता राशि लिए जाने का प्रावधान है। माननीय मंत्रिगण एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों हेतु सहभागिता राशि नहीं ली जाती है। इसी प्रकार प्रथम या किसी अन्य श्रेणी के आवासो में माननीय सदस्य, राजस्थान विद्यानसभा/जन प्रतिनिधियों/आयोगों के मनोनीत अध्यक्ष आदि के आवास की स्थिति में माननीय विधायकगणों/अन्य जन प्रतिनिधियों/आयोगों के अध्यक्ष इत्यादि से परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों हेतु भी सहभागिता राशि नहीं ली जावेगी ।

5. उक्त बिन्दुओं की पालना करते हुए राजकीय आवासों में मरम्मत एवं संधारण के समस्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर पर सम्पादित कराये जावेंगे तथा आवश्यतानुसार अपने बजट मद में वित्त विभाग से प्रावधान कराया जावेगा।

6. माननीय मंत्रीगणों/राजकीय फ्लेट्स के आवासियों द्वारा पानी की समस्या से निदान पाने के लिए ट्यूबवेल के निर्माण की बार-बार मांग की जाती है। राजकीय आवासों में पानी की सप्लाई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/सा0 नि0 विभाग द्वारा की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में राजकीय आवासों में ट्यूबवेल के निर्माण की स्वीकृति इस विभाग द्वारा नहीं दी जावेगी।

7. इस प्रकार उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थिति के अलावा एक वित्तीय वर्ष में निम्न राशि से अधिक स्वीकृति नहीं दी जावेगी:-

क्र.स.	आवास श्रेणी	स्वीकृत की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा
1	प्रथम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के प्रत्येक आवास हेतु	3,00,000/-
2	द्वितीय से छठवीं श्रेणी के समकक्ष प्रत्येक आवास हेतु	2,00,000/-

8. इस विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के पेटे किये गये व्यय का ब्यौरा आवास वार मय विस्तृत विवरण तैयार कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तिमाही भिजवाया जावेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 101004297 दिनांक 21.12.2010 से प्राप्त सहमति उपरान्त जारी किया जाता है।

Sd

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/भरतपुर।
3. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
4. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना हेतु समस्त अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्दिष्ट कराने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव (क)